"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2005—कार्तिक 9, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 12150/वि.स./स्थापना/2005.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 28 (2) (ख) (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 कहलायेंगे.

(2) यह नियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावशील माने जाएंगे.

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है.

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.

(ग) "शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं.

3. धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा.

4. धारा-7 की उपधारा (1) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए,

(ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य.

छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र वर्मा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.